प्रेस नोट

दिनांक 07.11.2025

07 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना मौदहा, थाना राठ व थाना मुस्करा, थाना जरिया से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधी गण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1.अभियुक्त- वीरु उर्फ बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी ग्राम पिपरौंदा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.10.2025 से 06 माह।

2.अभियुक्त- अभय शुक्ला पुत्र मुनेश निवासी ग्राम पिपरौंदा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 17.10.2025 से 06 माह।

3.अभियुक्त- शशिकांत राजपूत पुत्र महेश चन्द्र राजपूत निवासी ग्राम ससरई थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.10.2025 से 06 माह।

4. अभियुक्त- लालू उर्फ संदीप कुमार राजपूत पुत्र भगवत प्रसाद निवासी ग्राम पथनौड़ी थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 17.10.2025 से 06 माह।

5. अभियुक्त- निखिल राजपूत पुत्र देवेन्द्र राजपूत निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.10.2025 से 06 माह।

6. अभियुक्त- सौरभ पुत्र उमेश सिंह निवासी श्रीरामपुर का डेरा ग्राम उपरहंका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर, दिनांक 10.10.2025 से 06 माह।

7. अभियुक्त- संजय उर्फ संजू पुत्र मूरतध्वज राजपूत निवासी ग्राम इटैलिया बाजा, थाना जरिया जनपद हमीरपुर दिनांक 10.10.2025 से 06 माह।